A-7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 38/2021

श्रीमती केशरी देवी कालूराम पुरोहित मैमोरियल ट्रस्ट मण्डावा संचालक जरिये काशी प्रसाद पुरोहित पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी मण्डावा, उप तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू राजस्थान मो.नं. 9314508808

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनूं उनवानी सरकार बनाम केशरी देवी कालूराम पुराहित मैमोरियल ट्रस्ट मण्डावा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 29/2015 निर्णय दिनांक 20.04.2021

——

उपस्थितः–

1. मीना कुमारी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 13.09.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मण्डावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार "पटवारी हल्का मण्डावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि कस्बा मण्डावा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1021/1933 रकबा 0.70 हैक्टर गैर मुमकिन मरघट में से 1664 वर्गमीटर भूमि पर केशरी देवी कालूराम मेमोरियल ट्रस्ट मण्डावा मन्दिर श्री भूतनाथ मण्डावा संचालक काशी प्रसाद पुरोहित पुत्र बाबुलाल जाति पुरोहित निवासी मण्डावा में दुकान एवं पुख्ता चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया हैं रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट ने अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1975 में बाबुलाल पुरोहित ने अपने जीवनकाल में भूतनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया तथा मन्दिर के साथ पानी की सुविधा हेतु कुआ, दर्शनार्थियों के विश्राम के लिये कमरे व लैट–बाथ बनाये थे। तथा बाबूलाल पुरोहित ने केशरी देवी कालूराम मेमोरियल ट्रस्ट मण्डावा का गठन करके पंजीकृत संख्या – 3/7971 दिनांक 12.02.1979 को पंजीकृत करवाया था तब से लगातार उक्त ट्रस्ट जनहितार्थ समाज की निःस्वार्थ सेवा करता है और पब्लिक प्रयोजन का यह ट्रस्ट है। उक्त कार्य को विस्तार के लिये व पास में ही श्मशान भूमि होने के कारण मुर्दे जलाने पर जो उनकी हवा, सुगन्ध आदि के बचाव के लिये चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाकर जनहितार्थ ज्यादा भूमि उपयोग के लिये जिला कलेक्टर झुंझुनू ने दिनांक 10.05.1983 को ट्रस्ट को 1 बीघा 8 बिश्वा भूमि दी थी जो मन्दिर की सुविधा और मन्दिर का खर्चा व जनकल्याण कार्य सुचारू रूप से होते रहे जो मन्दिर के सटकर ही पास ही दी थी और जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पत्र कमांक 926/राजस्व दिनांक 14.09.1983 द्वारा पटवारी हल्का मण्डावा को आदेश दिया कि श्रीमती केशरी देवी कालूराम मेमोरियल ट्रस्ट मण्डावा को भूतनाथ मन्दिर व जनहित के लिये 1 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का कब्जा ट्रस्ट को सम्भला कर रिकॉर्ड में अमल दरामद करे और उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.09.1983 को पटवारी हल्का ने मौके पर नापकर डीमार्केशन कर अपीलान्ट ट्रस्ट को कब्जा सम्भला दिया था और उसी रोज से ट्रस्ट ने 1 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल करके कब्जा कर लिया था और तब से लगातार उक्त भूमि ट्रस्ट जिला

A 4/2

कलेक्टर आदेश दिनांक 11.05.1983 के अनुसार ट्रस्ट की मानकर जनहितार्थ उपयोग करता आया है और जो भी ट्रस्ट में आमद होती है उसकी सालाना ऑडिट होकर देवस्थान विभाग को हिसाब भेजा जाता है अपीलान्ट ट्रस्ट अपने उद्देश्यो को अग्रसर करने व अन्जाम देने के लिये व मन्दिर मे बने हुए कुये से पाईप लाईन बिछाकर मन्दिर से शमशान तक पानी की सप्लाई की जाती है तथा वर्षात के समय शव जलाने हेतु टिनशैड आदि निर्माण ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। ट्रस्ट द्वारा स्वयं के खर्चे से मन्दिर के सामने बने चबूतरे पर सैलिंग लगाकर प्याऊ का निर्माण करवाया गया है व नल आदि लगाकर जल आपूर्ति की सेवा लगातार की जाती रही है। सार्वजनिक भूतनाथ मन्दिर व शमशान में आने–जाने वाले व्यक्तियों की निःशुल्क ठहरने स्नान आदि की सुविधा ट्रस्ट द्वारा की जाती रही है और मन्दिर व ट्रस्ट का जो खर्चा होता है उसमें से कुछ स्थाई आमद ट्रस्ट की हो जाये और ट्रस्ट के उद्देश्यो को स्थाई रूप से आगे भी अग्रसर किया जाता रहे उसके लिये भी ट्रस्ट की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर कुछ दुकानों का भी निर्माण करवाया गया है जिसका किराया जो भी आता हैं वो उपर वर्णित सामाजिक कल्याण, मन्दिर की सुविधा, पानी की सुविधा आदि में खर्च करके पूरा हिसाब रखा जाता है और अंकेक्षण भी ट्रस्ट द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा करवाया जाता रहा है ट्रस्ट का तमाम कार्य पारदर्शी, कल्याणकारी व सेवार्थ है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्वेच्छाचारी ढंग से बिना प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए दिनांक 20.04.2021 को निम्न आदेश पारित किया है:– "मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि श्रीमान जिलाधीश महोदय, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.1983 निरस्तनीय है, क्योंकि भूमि जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है मौके पर स्थिति भिन्न है। भूमि भूतनाथ मंदिर एवं जलाशय हेतु आरक्षित की गई थी परन्तु मौके पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है उक्त आदेश में जिस प्रयोजन से भूमि आरक्षित की गई थी के विपरीत मौके पर भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक दुकाने बनाकर काम में ली जा रही है। जो सरासर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।" .....फलस्वरूप गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अतिक्रमण स्वरूप किये गये निर्माण को हटाकर बेदखली आदेश पारित किया जाता है तथा मौके पर किये गये निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है। गिरदावर हल्का मण्डावा एवं पटवारी हल्का मण्डावा को मौके से अतिक्रमण हटाने बाबत आदेश जारी हो। पैनल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 60/– रूपये मांग कायमी की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी कराई जाये। पटवारी हल्का को पैनल्टी वसूल हेतु तहरीर की जाती है।" पटवारी हल्का द्वारा व पटवारी की टीम द्वारा जितनी बार नपती करवाई गई व रिपोर्ट मंगवाई गई है यहां तक की अपीलान्ट ने जबाब पेश कर दिया उसके बाद भी पटवारी हल्का से मौके की रिर्पोट मंगवाई गई है लेकिन अपीलान्ट को न तो कभी इसका नोटिस दिया गया, न ही कभी सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही अपीलान्ट के सामने कभी भी कोई नपती व मौका रिपोर्ट बनाई गई है और न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत ने अतिक्रमण करने का नोटिस दिया है और अपने निर्णय में अदालत मातहत ने यह दर्ज किया है कि क्योकि भूमि जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है मौके पर भिन्न स्थिति है इसके सम्बन्ध में न तो अपीलान्ट को नोटिस दिया गया और न ही इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को जबाब देने का अवसर दिया गया, उक्त निष्कर्ष प्रकरण की विषयवस्तु के ही विपरीत है। इससे भी आगे बढकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में दर्ज किया है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश को निरस्तनीय करने का अधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नही है अदालत मातहत अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ट्रस्ट को तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.09.1983 के अनुसार पटवारी हल्का मण्डावा ने दिनांक 20.09.1983 को मौके पर नपती करके 1 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का डीमार्केशन करके कब्जा दिया है और डीमार्केशन के अनुसार उसी समय से ट्रस्ट ने कब्जा दी हुई अपनी भूमि पर चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण करवा दिया था और सन् 1983–84 से इस स्थान पर ट्रस्ट बाउण्ड्री बनाकर बतौर अधिकार के रूप में जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 11.05.1983 के द्वारा आरक्षित घोषित की हुई भूमि मानकर और पटवारी हल्का द्वारा वहां मौके पर कब्जा दिया गया था वहां पर ट्रस्ट बतौर मालिक अधिकारी काबिज है और आज तक ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ही उक्त भूमि को उपयोग किया जाता रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। इस प्रकार ट्रस्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है ट्रस्ट बोनाफाईडली उसके लिये आरक्षित की गई भूमि पर काबिज है। मैलाफाईडली कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पदमा सिंह अपील नम्बर 2896/1981 में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का निर्णय है ** Section 91 of the Act prescribes a summary procedure for eviction a person who is found to be in unauthorized occupation of government. The said provision cannot be invoked in a case where the person in occupation raises a bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land. (आर.बी.जे. सन् 1995 (2) पेज

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जा अतः) इसी प्रकार से आर.आर.डी 2002 पेज नं. 583–बी में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि (B) Raj. land Revenue Act. Aection 91&136 & Proceeding u/s 136 for eviction and for making correction in land records are both summary right to remain in possession over land in question on the basis of abadi pattas issued by Ruler of erstwhile state – Held, matter could not be adjudicated in summary proceeding u/ss 91 & 136 and petitioned could not be evicted by resorting to summary proceedings u/s 91. उपरोक्त प्रकार से अपीलान्ट जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित और उसके अनुसार तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश से पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर अपीलान्ट को कब्जा दिलाया था तब से ही पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर ट्रस्ट बोनाफाईडली काबिज है उस वक्त की बनाई गई बाउण्ड्रीवाल को हुये करीब 36 साल हो गये और अपीलान्ट ट्रस्ट भी 36 साल से बतौर अधिकार जनसेवार्थ उपयोग में ला रहा है। आज तक न तो किसी ने शिकायत की न ही पटवारी हल्का ने कभी ऐतराज किया, न ही तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने कभी ऐतराज किया और न ही कभी कोई नोटिस दिया गया है। बतौर आचरण भी इन सबकी सहमति है जो उनके विरूद्ध स्टोपल हैं। लेकिन आज राजनैतिक व मैलाफाईड कारणों से जनहितार्थ जो काम किया जा रहा है उसमें नाजायज उद्‌देश्य को प्राप्त करने के लिये उक्त गलत कार्यवाही की गई है और उक्त निर्णय करवाया गया है। ट्रस्ट को जो जितना रकबा जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित करके दिया गया था उतने ही रकबे पर काबिज है उससे ज्यादा रकबे पर काबिज नहीं है। मंदिर में आने वाले, शमशान में आने वाले व शमशाने के लिये ट्रस्ट पानी व लकडी की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाता है आम–जन का प्याऊ व नल के द्वारा निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है और 36 साल से अपने उद्‌देश्यो को अंजाम देता आ रहा है और अपीलान्ट यह तमाम व्यवस्था कर रहा है। देवस्थान विभाग भी अगर इन उद्‌देश्यो को अंजाम देना चाहे तो अपीलान्ट ट्रस्ट देवस्थान विभाग को भी उक्त ट्रस्ट को संचालित करने के लिये सब अधिकार देने के लिये तैयार हैं अपीलान्ट ट्रस्ट का व उनके ट्रस्टियों को कोई निजी हित व स्वार्थ न तो कभी रहा है न है। उनका हित यही है कि जनकल्याण हेतु उपरोक्त कार्य सुचारू रूप से किये जाते रहे। ट्रस्ट को जिस प्रयोजन के लिये भूमि आरक्षित करके दी गई थी उसी प्रयोजन को प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने के लिये तमाम कार्य ट्रस्ट कर रहा है। उक्त भूमि न ही सिवायचक है न ही गोचर है न ही जोहड़ है और न ही सरकार की खातेदारी की है उक्त भूमि श्मशान है जो स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डावा के क्षेत्राधिकार व रखरखाव में है इस प्रकार प्रथम तो अदालत मातहत को उक्त प्रकरण सुनने को श्रवणाधिकार नहीं है ना ही नगरपालिका को पक्षकार बनाया गया है और क्योंकि उक्त ट्रस्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जनकल्याण हेतु गठित किया गया है जिसका नियन्त्रण भी देवस्थान विभाग के पास है और ऑडिट करके सालाना हिसाब भी देवस्थान विभाग को भेजा जाता है इस प्रकार देवस्थान विभाग भी आवश्यक पक्षकार है और देवस्थान विभाग ही प्रयोजन के भिन्न ट्रस्ट की सम्पति उपयोग में लेने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम है इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने लायक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा पारित आदेश (निर्णय) दिनांक 20.04. 2019 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया किअदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत ने अतिक्रमण करने का नोटिस दिया है और अपने निर्णय में अदालत मातहत ने यह दर्ज किया है कि क्योकि भूमि जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है मौके पर भिन्न स्थिति है इसके सम्बन्ध में न ही अपीलान्ट को नोटिस दिया गया और न ही इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को जबाब देने का अवसर दिया गया, उक्त निष्कर्ष प्रकरण की विषयवस्तु के ही विपरीत है। इससे भी आगे बढकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में दर्ज किया है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश को निरस्तनीय करने का अधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नही है अदालत मातहत अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ट्रस्ट को तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.09.1983 के अनुसार पटवारी हल्का मण्डावा ने दिनांक 20.09.1983 को मौके पर नपती करके 1 बीघा 8 बिश्वा पुख्ता भूमि का सीमांकन करके कब्जा दिया है और डीमार्केशन के अनुसार उसी वक्त से ट्रस्ट ने कब्जा दी हुई अपनी भूमि के चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण करवा दिया था और सन् 1983–84 से इस स्थान पर पुख्ता बाउण्ड्री बनाकर बतौर अधिकार के रूप में जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 11.05.1983 के

आरक्षित घोषित की हुई भूमि मानकर और पटवारी हल्का द्वारा जहां मौके पर कब्जा दिया गया था उस पर ट्रस्ट बतौर मालिक अधिकारी काबिज है और आज तक ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ही उक्त भूमि को उपयोग किया जाता रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा । इस प्रकार ट्रस्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है ट्रस्ट बोनाफाईडली उसके लिये आरक्षित की गई भूमि पर काबिज है। बोनाफाईडली कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित और उसके अनुसार तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश से पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर अपीलान्ट को कब्जा दिलाया था तब से ही पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर ट्रस्ट बोनाफाईडली काबिज है उस वक्त की बनाई गई बाउण्ड्रीवाल बने हुये करीब 36 साल हो गये और अपीलान्ट ट्रस्ट भी 36 साल से बतौर अधिकार जनसेवार्थ उपयोग में ले रहा है। आज तक न तो किसी ने शिकायत की न ही पटवारी हल्का ने कभी ऐतराज किया, न ही तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने कभी ऐतराज किया और न ही कभी कोई नोटिस दिया गया है। मौके आचरण भी इन सबकी सहमति है जो उनके विरूद्ध स्टोपल हैं। लेकिन आज राजनैतिक व बोनाफाईड कारणो से जनहितार्थ जो काम किया जा रहा है उसमें नाजायज उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये उक्त गलत कार्यवाही की गई है और उक्त निर्णय करवाया गया है। ट्रस्ट को जो जितना रकबा जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित करके दिया गया था उतने ही रकबे पर काबिज है उससे ज्यादा रकबे पर काबिज नहीं है। मंदिर में आने वाले, शमशान में आने वाले व शमशाने के लिये ट्रस्ट पानी व लकडी की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाता है आम–जन का प्याऊ व नल के द्वारा निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है और 36 साल से अपने उद्देश्यो को अंजाम देता आ रहा है और अपीलान्ट यह तमाम व्यवस्था कर रहा है। विवादित भूमि के संबंध मे अपीलान्ट ट्रस्ट का व उनके ट्रस्टियों को कोई निजी हित व स्वार्थ न तो कभी रहा है न है। उनका हित यही है कि जनकल्याण हेतु उपरोक्त कार्य सुचारू रूप से किये जाते रहे। ट्रस्ट को जिस प्रयोजन के लिये भूमि आरक्षित करके दी गई थी उसी प्रयोजन को प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने के लिये तमाम कार्य ट्रस्ट कर रहा है। उक्त भूमि न तो सिवायचक है न ही गोचर है न ही ओरण है और न ही सरकार की खातेदारी की है उक्त भूमि श्मशान है जो स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डावा के क्षेत्राधिकार व रखरखाव में है इस प्रकार प्रथम तो अदालत मातहत को उक्त प्रकरण सुनने को क्षेत्राधिकार नहीं है ना ही नगरपालिका को पक्षकार बनाया गया है और क्योंकि उक्त ट्रस्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जनकल्याण हेतु गठित किया गया है जिसका नियन्त्रण भी देवस्थान विभाग के पास है और ऑडिट करके सालाना हिसाब भी देवस्थान विभाग को भेजा जाता है इस प्रकार देवस्थान विभाग भी आवश्यक पक्षकार है और देवस्थान विभाग ही प्रयोजन के भिन्न ट्रस्ट की सम्पति उपयोग में लेने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा पारित आदेश (निर्णय) दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा मण्डावा स्थित विवादित भूमि ख0न0 1021/1933 रकबा 0.70 है0 किस्म गै0मु0 मरघट मे से 1664 वर्गमीटर भूमि पर भूमि आंवटन के प्रयोजन के विपरीत जाकर उपयोग व उपभोग करने का कोई हक नही है। आंवटन आदेश मे भी इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटित भूमि का उपयोग आंवटन उद्देश्यों के विरूद्व करने पर आंवटन आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर का भी मनन किया । प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को कस्बा मण्डावा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1021/1933 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन मरघट में से 1664 वर्गमीटर भूमि पर अतिकमी माना है। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार है :–

विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1021/1933 रकबा 0.70 हैक्टर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 – 2076 में श्मशान घाट (चारागाह के लिए नहीं) की खातेदारी में गैर मुमकीन मरघट के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जमीन को आरक्षण करने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार से जिला कलेक्टर के पास आया था। उक्त विवादित आराजी कार्यालय जिलाधीश झुंझुनू के आदेश कमांक 4344–46 राज 83 दिनांक 11.05.1983 द्वारा भूतनाथ मंदिर एवं जलाशय हेतु आरक्षित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 11.05.1983 की पालना हेतु तहसीलदार झुंझुनू को भी प्रतिलिपि भिजवाई गई थी।

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

आदेशों का रिकार्ड में अमल दरामद का कार्य तहसीलदार का होता है।

2. प्रकरण में मौके पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में अपीलान्ट का तर्क यह है कि विवादित भूमि मन्दिर को आरक्षित भूमि है जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर अनुसार " Section 91 of the Act prescribes a summary procedure for eviction a person who is found to be in unauthorized occupation of government. The said provision cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land. " अपीलान्ट मन्दिर एवं ट्रस्ट है। सन् 1975 में भूतनाथ मन्दिर का निर्माण तथा पानी की सुविधा हेतु कुआ, दर्शनार्थियों के विश्राम के लिये कमरे व लैट–बाथ बनाये थे। ट्रस्ट पंजीकृत संख्या ई/7971 दिनांक 12.02.1979 से पंजीकृत है तथा ट्रस्ट का जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 11.05.1983 से प्राप्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। जनहितार्थ के लिए मन्दिर की सुविधा तथा मन्दिर में होने वाला खर्चा व मन्दिर में आने – जाने वाले व्यक्तियों की निःशुल्क ठहरने व स्थान आदि की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जिस हेतु मन्दिर तथा ट्रस्ट का काफी खर्चा होता है। उक्त दुकानों का निर्माण ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कल्याण, मन्दिर की सुविधा, पानी की सुविधा आदि के खर्चे हेतु करवाया गया है तथा इस खर्च का पूरा हिसाब रखा जाता है तथा अंकेक्षण भी ट्रस्ट द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा करवाया जाता है। जो भी ट्रस्ट मे आमद होती है उसकी सालाना ऑडिट होकर देवस्थान विभाग को हिसाब भेजा जाता है।

3. राजकीय अभिभाषक का तर्क रहा है कि उक्त भूमि ट्रस्ट को जलाशय हेतु आरक्षित की गई थी। जिस पर ट्रस्ट द्वारा जलाशय के रूप में उपयोग न कर नियम विरूद्ध तरीके से दुकानों का निर्माण कर व्यवसायिक रूप में काम में लिया गया है। विवादित आराजी को आरक्षित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.03.1983 मे अंकित किया है कि कस्बा मण्डावा मे आराजी खसरा नम्बर 450/1 रकबा 64 बीघा 12 बिश्वा गैर मुमकीन मारघट मे श्री भूतनाथ जी का मंदिर बना हुआ है तथा मन्दिर के चारों तरफ पुख्ता डंडा कराया जाकर श्मसान मे मुर्दे आदि के जलाने हेतु मन्दिर के यहां से लकडियां आदि रखने के लिए भूमि चाही जा रही है। श्रीमती केशरी देवी कालूराम पुरोहित मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। श्री भूतनाथ मन्दिर जलाशय हेतु भूमि खसरा नम्बर 450/1 रकबा 64 बीघा 12 बिश्वा मे से 1 बीघा 8 बिश्वा की मांग की गई है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा जिला कलक्टर के यहां मांग यह की थी कि श्री भूतनाथ मन्दिर व जलाशय मण्डावा मे धर्मार्थ व हितार्थ बनाया गया है की बाबत भूमि की मांग की गयी। इससे साफ जाहिर है कि ट्रस्ट द्वारा उक्त जमीन धर्मार्थ व जनहितार्थ हेतु आरक्षित चाही थी तथा विवादित भूमि को सुरक्षित रखने हेतु भूमि को ट्रस्ट के लिए आरक्षित किया गया था जिसमे चार दीवारी का अंकन उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा अपनी रिपोर्ट मे किया है। नगर पालिका मण्डावा द्वारा भी सार्वजनिक श्मसान भूमि मे टीनशंड की व्यवस्था करने हेतु ट्रस्ट को पत्र क्रमांक 73/94 दिनांक 01.061994 जारी किया था जिसकी बाबत ट्रस्ट द्वारा रेलिंग लगाकर जल आपर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाकर पानी की सप्लाई की तथा मंदिर के सामने बडे चबूतरे पर रेलिंग लगाकर प्याउ का निर्माण स्वयं ट्रस्ट के खर्चे पर करवाया गया था। विवादित भूमि कुआं मौजूद है। जिस मन्तव्य से भूमि ट्रस्ट को आरक्षित की गई थी वह उसी अनुसार काम मे ली जा रही है।

4. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि उक्त भूतनाथ मन्दिर तथा ट्रस्ट का कब्जा विवादित आराजी पर काफी लम्बे समय से रहा है तथा उक्त भूमि पर विभिन्न सुविधाओं तथा मन्दिर के खर्चे हेतु निर्माण भी लगभग 35 साल पूर्व करवाये गये है। इससे यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट/ट्रस्ट द्वारा निर्मित दुकानें निजीस्वार्थ के बजाय जनहितार्थ के कार्यो तथा मन्दिर के खर्चो हेतु बनवाई गई है। मन्दिर की भूमि पर मन्दिर के ट्रस्ट या पुजारी द्वारा मंदिर की सुविधाओं तथा मन्दिर में आने वाले आमजन की सुविधाओं के लिऐ निर्माण किया है। ट्रस्ट द्वारा निर्मत दुकानों को अन्य व्यक्ति को दिये जाने या दुकानों का निर्माण कर उनको बेचान करने का तथ्य भी सामने नही आया है। तथा ट्रस्ट द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी दिये जाने का क्लेम भी नही किया गया है। भूमि ट्रस्ट को आरक्षित भूमि है, जिस पर ट्रस्ट का कब्जा चला रहा है तथा प्रकरण में ट्रस्ट के कब्जे का विवाद नहीं रहा है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

5. उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04. [illegible] को खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से [illegible] पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत आदेश की प्रति सहित प्रेषित हों। [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/09/21

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(उमर दीन खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनू